न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल–ग्वालियर–मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमांक/ निग 3741-I-16 सन्–2016

मकुन्दीलाल तनय कड़ोरा काछी, आयु लगभग–60 वर्ष,
निवासी ग्राम–छिरावल, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. वंशिया तनय सुखलाल काछी,
निवासी ग्राम–छिरावल, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
2. शासन–मध्यप्रदेश ....प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.–1959

निगरानी विरूद्ध आदेश योग्य नायब तहसीलदार महोदय–ईशानगर द्वारा प्र.क्र.–118/अ–12/2015–16, आदेश दिनांक–13.07.2016 में पारित आदेश से दुःखी होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नानुसार निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि भूमि खसरा नंबर–66, 67/1, 68/69, (173/3, 174), 67/2, रकवा क्रमशः 0.534 हे, 0.526 हे., 0.526 हे., 2.020 हे., 1.721 हे., स्थित मौजा–छिरावल, प.ह.नं.–46, रा.नि.मं. –ईशानगर, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) की कृषि भूमि निगरानीकर्ता की पैतृक कृषि भूमि है, जो निगरानीकर्ता व उसके भाईयों के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व की हैसियत से राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं और निगरानीकर्ता की भूमि से लगी हुई अन्य काश्तकारों की कृषि भूमियां हैं एवं खसरा नंबर–173/3 में खसरा नंबर–174 का रकवा शामिल है।

2. यह कि निगरानीकर्ता ने अपने उक्त खसरा नंबरों–66, 67/1, 68/69, 173/3, 67/2 की सीमाओं की जानकारी व अपने रकवे की नाप कराने हेतु सीमांकन आवेदन दिनांक–15.06.2016 को पेश किया था, जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक–29.06.2016 को स्थल पर सीमांकन करने हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल–ईशानगर को अग्रेषित किया किया था, जो राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना–पत्र सरहदी काश्तकारों को भेजे गये थे एवं दिनांक–29.05.2016 को सीमांकन मौका स्थल पर किया जाना निश्चित किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी क्रमांक–01 एवं अन्य सरहदी काश्तकार मौके पर नाप के समय उपस्थित नही मिले, अन्य गांव के पंच मौके पर सीमांकन के समय उपस्थित रहे एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमांकन मौके पर किया गया और मौके पर पंचनामा बनाया गया था एवं निगरानीकर्ता को उसकी सीमायें बताई गईं थीं एवं खसरा नंबर–68/69 के अंशभाग पर

निरन्तर..2

मकुन्दी लाल

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3741-एक/2016 जिला छतरपुर मकुन्दीलाल विरूद्ध वंशिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी नायब तहसीलदार ईशानगर के प्रकरण क्रमांक 118/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 2/1/19 (आर.के. जैन) सदस्य	